रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 177] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 1971/आश्विन 5, 1893

No. 177] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 1971/ASVINA 5, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 27th September 1971

G.S.R. 1450.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cotton fabrics (hereinafter referred to as the goods) and cotton yarn used in the manufacture of goods donated for the relief of the Bangla Desh Refugees from the whole of the duty of excise leviable thereon;

Provided that:—

(a) it is certified by the manufacturer of the goods on the relevant clearance documents that the goods are intended to be donated for the relief of Bangla Desh Refugees without discrimination on the grounds of religion, race or caste or any of them and distributed free and without making any charge therefor,

(b) the goods are sent directly from the factory manufacture to the Bangla Desh Assistance Committee, New Delhi, or the Indian Red Cross Society, or the Department of Rehabilitation, Government of India, New Delhi/Calcutta, and

(c) the manufacturer produces, before the Central Excise Officer incharge of the factory within two months of the date of removal of the goods from the factory or such extended period as the Collector of Central Excise may allow, a certificate from any of the Agencies mentioned in clause (b) that the goods have been received by the Agency for the purpose of being distributed free and without making any charge therefor among the Bangla Desh Refugees without discrimination on the grounds of religion, race or caste or any of them.

[No. 180/71.]

J. P. KAUSHIK, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

राजस्व और बीमा विभाग

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1971

सा० का० नि० 1450.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944, के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, बंगला देश के शरणार्थियों की राहत के लिए दान किये गये सूती कपड़े (जिसे इसमें इसके पश्चात् माल कहा गया है) और माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कपास के सूत को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से, एतद्द्वारा छूट देती है :

परन्तु यह कि —

(क) माल के विनिर्माता द्वारा सुसंगत निकासी दस्तावेजों पर प्रमाणित किया जाए कि माल, धर्म, मूलवंश या जाति या उन में से किसी के आधार पर विभेद किए बिना, बंगला देश के शरणार्थियों की राहत के लिए दान किए जाने के लिए आशयित है और निःशुल्क तथा उसके लिए बिना कोई प्रभार लिए वितरित किया जाना है;

(ख) माल विनिर्माण के कारखाने से बंगला देश सहाय्य समिति, नई दिल्ली, या इंडियन रेडक्रास सोसाइटी या भारत सरकार के पुनर्वास विभाग, नई दिल्ली/कलकत्ता को सीधे भेजा जाए और

(ग) विनिर्माता, कारखाने के केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क भारसाधक अधिकारी के समक्ष कारखाने से माल हटाने की तारीख के दो मास या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, अनुज्ञात करे, खण्ड (ख) में उल्लिखित अभिकरणों में से किसी अभिकरण से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि माल अभिकरण द्वारा धर्म, मूलवंश या जाति या उन में से किसी के आधार पर विभेद किए बिना, बंगला देश के शरणार्थियों के बीच निःशुल्क और उसके लिए कोई प्रभार लिए बिना वितरित करने के प्रयोजन के लिए प्राप्त हुआ है ।

[सं० 180/71]

जे० पी० कौशिक, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971